न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 776–एक/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 20 –4–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 232/निगरानी/2006–07.

1– श्रीमती तेजूबाई पत्नी स्व. अमरसिंह राजपूत
निवासी ग्राम दत्तीगारा हाल मुकाम छोटा कठोदिया
तहसील बदनावर जिला धार
2– कृष्णाबाई पुत्री अमरसिंह राजपूत
निवासी ग्राम दत्तीगारा हाल मुकाम नवादा
तहसील बदनावर जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मनोहर पुत्र हीरालाल राजपूत
2– भंवरबाई बेवा हीरालाल राजपूत (फौत)
निवासी ग्राम दत्तीगारा
तहसील बदनावर जिला धार .....अनावेदकगण

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/10/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 2 द्वारा तहसीलदार, बदनावर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम दत्तीगारा स्थित सर्वे कमांक 299/1/4 रकबा 0.369 हेक्टेयर भूमि अमरसिंह के नाम दर्ज है, और उनकी

मृत्यु हो गई है, अतः उपरोक्त भूमि पर उसका नामांतरण स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा कार्यवाही प्रारंभ करने पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि उसके पक्ष में वसीयतनामा हुआ है, अतः अनावेदिका कमांक 2 के साथ उसका नाम दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं है । प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान आवेदकगण द्वारा ग्राम पंचायत में वारिसाना नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । चूंकि नामांतरण विवादित था, अतः प्रकरण तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–6–2015 में प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बदनावर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–2–2006 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुए संहिता की धारा 164, 109 एवं 110 के अंतर्गत विधिसम्मत आदेश पारित करने के निर्देश तहसीलदार को दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, जिला धार के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 15–5–2007 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20–4–2011 को आदेश पारित किया जाकर अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर तहसीलदार का आदेश यथावत रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया गया कि आवेदिका कमांक 1 मृतक भूमिस्वामी की विधवा पत्नी है एवं आवेदिका कमांक 2 उसकी पुत्री है, परन्तु तहसीलदार द्वारा मनमाना आदेश पारित कर संदिग्ध वसीयतनामा के आधार पर अनावेदक कमांक 1 का नामांतरण स्वीकृत करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि भूमिस्वामी आवेदकगण के पक्ष में भी वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि पूर्व में अनावेदक कमांक 1 द्वारा धोखे से वसीयत लिखवा ली थी, जिसे निरस्त किया जा रहा है, उक्त तथ्य पर बिना विचार किये तहसीलदार द्वारा

आदेश पारित करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसम्मत आदेश की पुष्टि अपर कलेक्टर द्वारा की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में मृतक भूमिस्वामी द्वारा वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, जिसे तहसीलदार द्वारा विधिवत साक्ष्य से सिद्ध करते हुए अनावेदक कमांक 1 का नामांतरण स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष दो वसीयतनामा प्रस्तुत हुई हैं, एक आवेदिका कमांक 1 श्रीमती तेजूबाई के पक्ष में दूसरा अनावेदक कमांक 1 मनोहर के पक्ष में । तहसीलदार द्वारा दोनों वसीयतनामों पर विधिवत साक्ष्य ली जाकर साक्ष्यों के विस्तार से विवेचना करते हुए अनावेदक कमांक 1 मनोहर के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा को प्रमाणित पाया है, और आवेदिका कमांक 1 श्रीमती तेजूबाई के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा को संदेह से परे सिद्ध नहीं पाया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 मनोहर का नामांतरण स्वीकृत करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है, अतः उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है । चूंकि अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के विधि विपरीत आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर